न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 00 / 2007 (6 / 2018)

दलपत सिंह पुत्र श्री जवाहरसिंह, जाति राजपूत, निवासी डी–221, प्रेमनगर, झोटवाडा, जयपुर। ....अपीलान्ट

बनाम

1. ताराचन्द झंवर पुत्र श्री गुलाब चन्द जाति माहेश्वरी निवासी के–43 बी क्रिश्चियन गंज, अजमेर।
2. नरेन्द्र कुमार रांका पुत्र श्री मांगीलाल जाति ओसवाल निवासी ब्रहमपुरी, अजमेर।
3. राजस्थान सरकार, वित्त निगम कॉरपोरेशन उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर जरिये मैनेजर, ब्रान्च शास्त्रीनगर, रोड, अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर। ....रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व प्रार्थना पत्र

उपस्थित :–

1. सोहनपाल सिंह — अभिभाषक अपीलान्ट

आदेश — दिनांक :– 12.04.2018

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जाटली तहसील व जिला अजमेर के खसरा नं0 910 रकबा 04–05–00 बीघा के खातेदार श्रीमती सुमित्रा सिन्धु पत्नि श्री जसवन्त सिंह सिन्धु एवं मेजर सिंहकंग पुत्र सरदार उधमसिंह कंग निवासी 18, शास्त्रीनगर, अजमेर के द्वारा संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके द्वारा खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा नं0 905 रकबा 2–17–10 व खसरा नं0 906 रकबा 2–12–00 की सिवाय चक भूमियों का उपयोग उपभोग किया जा रहा है, किन्तु भविष्य में किसी कारणवश आने जाने से से रोक दिया गया तो आवेदक गण कृषि कार्य से वंचित हो जायेंगे इसलिए उन्हें उनके द्वारा मौके पर उपयोग में लिया जा रहा 30 फुट रास्ते को किंमतन नियमन किया जावें, इस भूमि को हम रास्ते के लिए ही उपयोग करेंगें। प्रार्थीगण / खातेदार के उक्त प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी अजमेर से प्राप्त प्रतिवेदन / अनुशंषा के आधार पर आवेदकों से भूमि की किंमत 9815 / – रूपये जरिये चालान संख्या 76 दिनांक 18.7.2002 के राज्यकोष में जमा कराने उपरान्त राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम जाटली के आराजी खसरा नं0 905 व 906 में से खातेदारी भूमि खसरा नं0 910 में आने जाने हेतु 20X171 वर्गफुट अर्थात 380 वर्ग गज भूमि रास्ते प्रयोजनार्थ जिला कलक्टर अजमेर के आदेश कमांक राजस्व / एफ–12(सी) / 2002 / 3552 / 320 दिनांक 19 / 8 / 2002 के द्वारा आरक्षित किये जाने के आदेश पारित किये गये। इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी दलपतसिंह पुत्र श्री जवाहरसिंह जाति राजपूत निवासी डी–221, प्रेमनगर, झोटवाडा, जयपुर द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के रेस्पोडेन्ट्स ताराचन्द झंवर पुत्र श्री गुलाब चन्द माहेशवरी निवासी अजमेर एवं श्री नरेन्द्र कुमार रांका पुत्र श्री मांगीलाल जाति ओसवाल निवासी ब्रहमपुरी जिला अजमेर, राजस्थान सरकार वित्त निगम कॉर्पोरेशन उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर जरिये मैनेजर, बांन्च शास्त्रीनगर रोड, अजमेर, राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर को पक्षकार बनाते हुए अपील प्रस्तुत की गई जो माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

14/04/18
जिला कलक्टर
अजमेर

अपने निर्णय दिनांक 28.4.2007 के द्वारा आंशिक स्वीकार कर जिला कलक्टर, अजमेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.8.2002 अपास्त कर प्रकरण जिला कलक्टर,अजमेर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए तथा विवादित आराजी के मौके की विस्तृत जांच कराते हुए नवीन आदेश पारित करें। साथ ही पक्षकारान को दिनांक 9.5.2007 को न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर में उपस्थित होने एवं तब तक पक्षकारान को मौके की वर्तमान स्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय दिनांक 28.4.2007 की पालना में प्रकरण न्यायालय में नियत दिनांक को सुनवाई हेतु लिया गया। उभय पक्ष के उपस्थित आने पर प्रकरण में तहसीलदार अजमेर से विवादित भूमि की विस्तृत मौका रिपोर्ट मय राजस्व रेकार्ड के तलब की गई। वांछित रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किया गया। दौराने सुनवाई रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 के अभिभाषक को उपस्थित होकर बहस करने हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आने पर उपस्थित अभिभाषक अपीलान्ट/प्रार्थी के निवेदन पर उन्हें एक पक्षीय सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी/अपीलान्ट ने निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नं0 906 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा का एवं इस पर निर्मित भवन पर अपीलान्ट द्वारा खुली नीलामी में रेस्पोडेन्ट् संख्या 03 राजस्थान वित्त निगम से पर्याप्त प्रतिफल देकर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.2.2001 द्वारा क्रय कर काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी/अपीलान्ट को बिना सुने, बिना मुआवजे के, बिना विधिक प्रक्रिया के क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर जिला कलक्टर अजमेर द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 19.8.2002 रास्ते बाबत पारि किया गया जिसे माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.4.2007 द्वारा निरस्त कर प्रकरण सुनवाई हेतु इस न्यायालय को रिमाण्ड किया गया है।

हमने अभिभाषक प्रार्थी/अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं रेकार्ड पत्रावली का उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन किया। चूंकि आक्षेपित/आदेश दिनांक 19.8.2002 माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय दिनांक 28.4.2007 द्वारा अपास्त किया जा चुका है। वर्तमान स्थिति में आवेदक खातेदारान को अपनी खातेदारी भूमि के रास्ते हेतु नियमानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन करना चाहिए, जिसके तहत उपखण्ड अधिकारी, को समस्त प्रभावित खातेदारान/पक्षकारान को सुनकर, रास्ता भूमि का देय मुआवजें का निर्धारण कर कृषि भूमि हेतु रास्ता दिया जाने का विधिक प्रावधान है। अतः प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते है। प्रकरण इसी अनुरूप निस्तारित किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.04.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

12/04/18

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर